

क्रमांक: ए. 11 कार्यालय/बो. मो. /186/2326 दिनांक: 7-1-71

कार्यालय-आदेश

मंडल को 186वों बंठ के निर्णय बिन्दु संख्या 186.8 को अनुपालना में राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड, चिकित्सा विभाग 1970 के अंतर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये जोधपुर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मंगाराम खेतानो काम्पलेक्स, ई-शास्त्री नगर, जोधपुर को मंडल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के साथ चिकित्सा उपभोग हेतु मान्यता दी जाती है:-

विशेष शर्तें:-

- 11। हास्पिटल द्वारा भुगतान किये जाने वाले बिलों में 10 प्रतिशत को छूट दी जावेगी ।
- 12। इसके अतिरिक्त-अन्य शर्तें जो मंडल द्वारा अन्य प्राइवेट हास्पिटलों पर लागू है, उक्त हास्पिटल पर भी लागू होंगी ।

सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचना/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-आय/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता, रा. आ. मं., जयपुर
2. अति. मुख्य अभियंता, ... रा. आ. मं., ...
3. वरि. निजी सहायक-सचिव/चि. स. एवं मु. ले. अ., रा. आ. मं., जयपुर
4. निदेशक, जोधपुर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, प्रा. लि., मंगाराम खेतानो काम्पलेक्स, ई-शास्त्री नगर, जोधपुर
5. उप-आवासन आयुक्त, वृत्त ..
6. आवासन अभियंता, ए. एस. ..
7. निदेशक, चिकित्सा/भुगतान, रा. आ. मं.,
8. सहायक अभियंता/सहायक प्रकोष्ठ प्रमुख
9. रचित पत्राचार/नोटिस बोर्ड

सचिव